कार्यालय नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम, वाराणसी

संख्या- 502/[illegible]/2018-19

दिनांक-मार्च, 8, 2019

आदेश

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, लखनऊ के पत्र संख्या-524/43-3-2016, दिनांक-30.12.2016 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 व उ0प्र0 सूचना का अधिकारी नियमावली-2015 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने तथा जन सामान्य द्वारा मागी गयी वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम की धारा-5(1) का उपयोग करते हुए प्रत्येक लोक प्राधिकरण में एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश दिये गये है ।

अत: उपरोक्त आदेश के क्रम में वाराणसी नगर निगम के समस्त विभागों के निम्नानुसार को जनसूचना अधिकारी नामित किया जाता है-

क्र0सं0	जनसूचना अधिकारी का नाम एव पदनाम	सम्बन्धित विभाग
1.	श्री अजय कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त	1. अधिष्ठान/कार्मिकविभाग/लेखा विभाग 2. जी0आई0एस0/एम0आई0एस0 3. स्वच्छ सर्वेक्षण/ई-गर्वनेन्स/कम्प्यूटर सेल 4. स्वास्थ्य/परिवहन विभाग/आलोक 5. स्टोर (स्वास्थ्य/परिवहन/आलोक) 6. पशु चिकित्सा विभाग/स्वच्छ भारत मिशन 7. सी0एस0आर0/नमामि गंगे/स्मार्ट सिटी/जायका/शेल्टर होम 8. वरूणापार जोन व आदमपुर जोन
2.	अनूप कुमार बाजपेयी, अपर नगर आयुक्त	1. कर/नजारत/फार्म/वी0आई0पी0 2. नगर निगम के समस्त विद्यालय
3.	रमेश चन्द्र सिंह, अपर नगर आयुक्त	1. बीमा/पेन्शन/ग्रेज्यूटी/अमृत/हृदय 2. क्रीड़ा/पुस्तकालय/खेलकूद/समारोह/टाऊनहाल 3. दशाश्वमेध जोन
4.	श्री राकेश कुमार यादव, अपर नगर आयुक्त	1. राजस्व/अतिक्रमण/सम्पत्ति/ठेका/नजूल/शत्रुसम्पत्ति 2. विधि/विज्ञापन/अनुज्ञप्ति/उद्यान/ नकल/अभिलेखागार 3. निर्वाचन/जनगणना/परिषद/आडिट/कन्ट्रोल रूम/भेलूपुर जोन 4. टेण्डरिंग से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही का परीक्षण

8/03/19

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)

नगर आयुक्त

Scanned with CamScanner

नगर निगम, वाराणसी

नगर निगम, वाराणसी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी/अधिकारियों का

मोबाईल (सी0यू0जी0) नम्बर का विवरण

क्र0सं0	नाम	पदनाम	सी0यू0जी0 नम्बर
1	श्रीमती मृदुला जायसवाल	मा0 महापौर	7379881111
2	श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी	नगर आयुक्त	7800000900
3	श्री अजय कुमार सिंह	अपर नगर आयुक्त	8601872600
4	श्री अनूप कुमार वाजपेयी	अपर नगर आयुक्त	9935189899
5	श्री रमेश चन्द्र सिंह	अपर नगर आयुक्त	8601872710
6	श्री राकेश यादव	अपर नगर आयुक्त	7311149374
7	डा0 जी0एल0 केशरवानी	मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी	8601872244
8	डा0 ए0के0 दूबे	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	8601872603
9	श्री के0बी0 वार्ष्णेय	मुख्य अभियन्ता	8601872604
10	श्री नीरज गौड़	महाप्रबन्धक, जलकल	8935000951
11	श्री आर0के यादव	सचिव, जलकल	8935000952
12	श्री अनिल कुमार सिंह	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	8601872648
13	श्री आर0के0 प्रसाद	सहायक नगर आयुक्त	8601872666
14	श्री सूरज सिंह	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी	8601872662
15	श्री पी0के0 द्विवेदी	जोनल अधिकारी, वरूणापार	8601872651
16	श्री मनोज कुमार सिंह	जोनल अधिकारी, आदमपुर	8601004888
17	श्री धर्मराज यादव	जोनल अधिकारी, दशाश्वमेध	8601872654
18	श्री अरविन्द कुमार	जोनल अधिकारी, कोतवाली	8601872652
19	श्री जगदीश यादव	जोनल अधिकारी, भेलूपुर	8601872657
20	श्री मनोज त्रिपाठी	लेखाधिकारी	9451206800
21	श्री भरत कुमार दूबे	लेखाधिकारी	8601872650
22	श्री विवेक सिंह	मुख्य नगर लेखा परीक्षक	9415252846
23	डा0 असलम अंसारी	पशु चिकित्साधिकारी	8601872666
24	श्री अजय राम	अधिशासी अभियन्ता, (मार्ग प्रकाश/ परिवहन)	8601872633
25	श्री के0एस0 पाण्डेय	कार्यालय अधीक्षक/ उद्यान अधीक्षक	8601872661
26	श्री संदीप श्रीवास्तव	कोआर्डिनेटर, कम्प्यूटर सेल	8601872646

नगर निगम, वाराणसी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों को लागू किये जाने हेतु 16 बिन्दुओं पर सूचना

बिन्दु-1 अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्यः-
उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 के अन्तर्गत नगर निगम वाराणसी की स्थापना 24.01.1959 को नगर महापालिका के रूप में हुई थी एवं वर्ष 1994 में उ0प्र0 अधिनियम सं0-2 के अन्तर्गत नगर महापालिका के स्थान पर इसे नगर निगम वाराणसी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। नगर निगम सीमा के अन्तर्गत नागरिकों को मूलभूत सुविधायें, नगरीय अवस्थापना सुविधाए उपलब्ध कराना एवं नागरिक स्वास्थ्य की रक्षा करना नगर निगम के मुख्य उत्तरदायित्व हैं। नगर निगम अधिनियम की धारा-114 के अन्तर्गत नगर निगम वाराणसी के 41 अनिवार्य कर्तव्य एवं धारा-115 के अन्तर्गत 43 स्वविवेकानुसार कर्तव्य निहित किया गया है।

बिन्दु-2 अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्यः-
निर्माण / सिविल अभियन्त्रण से सम्बन्धित कार्यों के लिए मुख्य अभियन्ता उत्तरदायी हैं, नगर में समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्य व जन्म-मृत्यु पंजीयन के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी, विभिन्न करों, शुल्कों, लाइसेन्स के आरोपण, संग्रहण एवं नगर निगम अभिलेखों में भवनों के नामान्तरण / दाखिल खारिज के लिए उप नगर आयुक्त एवं सहायक नगर आयुक्त (जोनल अधिकारी) उत्तरदायी हैं।

बिन्दु-3 विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैः-
उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु विभिन्न स्तरों एवं विभिन्न वित्तीय सीमा तक नगर आयुक्त, कार्यकारिणी समिति एवं नगर निगम सदन (महापौर की अध्यक्षता में निर्वाचित पार्षदों का सदन) को सक्षम बनाया गया है। इसी प्रकार नगर निगम में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के पर्यवेक्षण की जवाबदेही विभिन्न स्तरों पर नगर आयुक्त से लेकर नगर निगम के विभिन्न अनुभागों के विभागाध्यक्ष तथा निचले स्तर के अधिकारी तक है। नगर निगम का प्रशासनिक ढाँचा निम्नवत् हैः-

नगर निगम सदन
↓
कार्यकारिणी समिति
↓
महापौर
↓
नगर आयुक्त

नगर आयुक्त के नियत्रंण के अधीन रहते हुए अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त तथा सहायक नगर आयुक्त नगर आयुक्त के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करते हैं जिन्हे नगर आयुक्त उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-112(1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट / प्रतिनिधानित करते हैं। धारा-112(2) के अन्तर्गत प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुसरण में अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त तथा सहायक नगर आयुक्त द्वारा सम्पादित समस्त कार्य तथा प्रयुक्त समस्त क्षेत्राधिकार सभी प्रयोजनों के लिए नगर आयुक्त द्वारा सम्पादित और प्रयुक्त समझे जाते हैं।

इसके अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक नगर निगम के क्रमशः सामान्य अभियन्त्रण विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा लेखा परीक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं।

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम की धारा 91(1) के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्य, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य, मार्ग प्रकाश सम्बन्धी कार्यों के प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति / नगर निगम के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जिसे विचारोपरान्त स्वीकृत किया जाता है। धारा 91(2) के अन्तर्गत पार्षदों द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है, उसे भी विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के अनुसार कार्य कराया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी आपातकाल स्थिति में जनता की सेवा या सुरक्षा के लिए या नगर निगम की सम्पत्ति की रक्षा के लिए अधिनियम की धारा 117(6)(ख) के अधीन नगर आयुक्त को इमरजेंसी कार्य कराने के लिए अधिकृत किया गया है।

बिन्दु-4 अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमानः-

धन की उपलब्धता के आधार पर नगर निगम द्वारा पारित संकल्पों के आधार पर टेण्डर प्रक्रिया अपनाते हुए नगर निगम का कार्य संचालित किया जाता है।

बिन्दु-5 अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखः-

नगर निगम के क्रियाकलाप उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार सम्पादित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त नगर निगम, वाराणसी में लागू नियमावलियाँ एवं उपविधियाँ उपलब्ध हैं।

बिन्दु-6 ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसे नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरणः-

वाराणसी नगर निगम के नियंत्रणाधीन कोई अभिलेखीय प्रकाशन नहीं हो रहा है।

बिन्दु-7 किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्यवयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैः-

नगर निगम में स्थित 90 बोर्डो से एक-एक पार्षद एवं पूरे नगर निगम क्षेत्र से एक महापौर निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार नगर निगम मुख्य रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की ही संस्था है। निर्वाचित नगर निगम द्वारा पारित संकल्पों के अनुसार ही विकास सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाते है।

उल्लेखनीय है कि नगर निगम सीमा में निर्वाचित होने वाले सांसद एवं विधायक नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं। राज्य सरकार द्वारा 10 पार्षद नामित किये जाते हैं। अधिवेशनों के समय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत बहस की जाती है, बहस के उपरान्त संकल्प स्वीकृत होने की दशा में महापौर द्वारा प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव नगर आयुक्त को भेजा जाता है। निगम अधिनियम के विपरीत प्रस्ताव / संकल्प पारित होने की दशा में नगर आयुक्त द्वारा प्रकरण को शासन को संदर्भित किया जाता है, शासन का आदेश अंतिम होता है।

नगर निगम वाराणसी के अध्यक्ष महापौर होते हैं, जिनके अधीन 12 पार्षदों की कार्यकारिणी समिति कार्य करते हैं। वर्ष 2017-20018 के सदन में 90 चुने हुए पार्षद कार्यरत हैं।

बिन्दु-8 ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगीः-

नगर निगम अधिनियम की धारा-51 के अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति के गठन की व्यवस्था दी गई है जिसमें महापौर पदेन सभापति तथा चुने हुए 12 पार्षद इसके सदस्य होते हैं। कार्यकारिणी समिति अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति निर्वाचित करती है। कार्यकारिणी समिति के आधे सदस्य प्रत्येक अनुगामी वर्ष में उस महीने की पहली तारीख को, जिसमें नगर निगम का पहला अधिवेशन सम्पन्न होता है, सेवा निवृत्त हो जाते हैं।

बिन्दु-9 अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिकाः-

<u>केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों का विवरण</u>

कमांक	पदनाम	सृजित पद	नाम	ज्वाइनिंग तिथी
1	नगर आयुक्त	1	श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी	19.02.2019
2	अपर नगर आयुक्त	2	श्री अजय कुमार सिंह	05.07.2018
			श्री अनूप कुमार बाजपेयी	13.06.2018
			श्री रमेश चन्द्र सिंह	08.01.2016
			श्री राकेश कुमार यादव	04.07.2017
3	संयुक्त नगर आयुक्त	2	—	-
			—	-
4	उप नगर आयुक्त	2	श्री जगदीश यादव	12.06.2018
5	सहायक नगर आयुक्त	3	श्री धर्मराज सिंह	12.06.2018
			श्री राज किशोर प्रसाद	12.06.2018
			श्री मनोज कुमार सिंह	10.07.2018
	तहसीलदार	0	श्री विनय कुमार राय	29.05.2018
6	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	1	डा0 अखिलेश्वर कुमार दुबे	20.12.2016
7	अतिरिक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी	1	डा0 गिरधारी लाल केशरवानी	04.09.2018
8	चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथ)	1	—	-
9	चिकित्सा अधिकारी (हकीम)	1	डा0 मो0 शमी (यूनानी)	-
10	चिकित्सा अधिकारी (पशु)	1	डा0 असलम अंसारी	-
11	मुख्य सफाई निरीक्षक	6	—	-
			—	-
			—	-
			—	-
			—	-
			—	-
12	जोनल सेनेटरी अधिकारी	2	श्री राम सकल यादव	27.01.2018
			श्री पारसनाथ गुप्ता	02.08.2018
13	सफाई निरीक्षक एवं खाद्य निरीक्षक	19	श्री राजन सिंह यादव	14.07.2009
			श्री लालमणि	29.12.2010
			श्री शिवेष कुमार तिवारी	26.11.2010
			श्री योगेन्द्र कुमार विश्वकर्मा	12.06.2018
			श्री संतोष कुमार सिंह	09.11.2010

			श्री शैलेश कुमार ठाकुर	19.06.2018
			श्रीमती अपर्णा वाजपेयी	25.06.2018
			श्री गोविन्द कुमार वाजपेयी	21.06.2018
			श्री शत्रुंजय कुमार	21.06.2018
			श्री विवेक कुमार	05.07.2018
			श्री सुग्रीव सिंह	06.07.2018
			श्री सुजीत कुमार गुप्ता	09.07.2018
			श्री विवेक बोहरा	18.07.2018
			श्री गौरी शंकर वार्ष्णेय	09-02-2017
			श्री विनयानन्द द्विवेदी	02-03-2019
			कु0 अनुश्री श्रीवास्तव	02-03-2019
			—	
			—	
			—	-
14	मुख्य अभियंता	1	श्री कुलभूषण वार्ष्णेय	25.06.2018
15	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	3	श्री दिलीप कुमार शुक्ल	11.01.2016
			श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव	17.10.2008
			—	-
16	अधिशासी अभियंता (ट्रैफिक)	1	श्री लोकेश कुमार जैन	09.09.2016
17	अधिशासी अभियंता (वि0/यां0)	1	श्री अजय कुमार राम	02-12-2016
18	सहायक अभियन्ता (सिविल)	4	श्री राकेश कुमार सिंह	16.02.2015
			श्री पारसनाथ पाल	-
			श्री कंचन श्रीवास्तव	01.06.2016
19	सहायक अभियंता (ट्रैफिक)	1	श्री अमरेन्द्र गौतम	30.03.2013
20	अवर अभियन्ता (सिविल)	16	श्री महेश चन्द्र	15.06.2018
			श्री अभय कुमार	08.08.2012
			श्रीमती पूनम सिंह	14.06.2017
			श्री श्रवण कुमार	30.07.2010
			श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय	07.10.2012
			श्री दिनेश प्रसाद	14.02.2011
			श्री सुखपाल	21.02.2018
			श्री अजीत कुमार यादव	05.03.2018
			श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	14.03.2018
			श्री दद्दू सिंह	23.03.2011
			श्री राजेन्द्र कुमार	21.05.2012
			श्री राजेन्द्र प्रसाद	03.07.2018
21	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	1	श्री अनिल कुमार सिंह	06.06.2018

22	लेखा अधिकारी	1	श्री मनोज कुमार त्रिपाठी	04.12.2018
23	सहायक लेखा अधिकारी	1	श्री भरत कुमार दुबे	03.07.2014
24	लेखाकार	3	श्री सुनील कुमार अवस्थी	27.09.2017
			श्री फिरोज अहमद	-
			श्री दिनेश कुमार पाल	14.06.2018
25	मुख्य नगर लेखा परीक्षक	1	श्री विवेक सिंह	-
26	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	3	श्री रोहिताश्व शुक्ल	22.11.2016
			श्री निर्विकार गोयल	25.06.2018
			श्री शशिकान्त प्रसाद सियाराम	03.06.2018
27	लेखा परीक्षक	6	श्री अभय कुमार सिंह	19.12.2016
			श्री भूपेन्द्र सिंह	10.11.2016
			श्री सागर सिन्हा	16.11.2016
			श्री मनीष कुमार मिश्रा	18.11.2016
			श्री मुकेश कुमार भटेले	07.07.2018
			–	–
28	सहायक लेखा परीक्षक	9	–	-
			–	-
			–	-
			–	-
			–	-
			–	-
			–	-
			–	-
			–	-
29	उद्यान अधीक्षक	1	श्री कृपाशंकर पाण्डेय	31.07.2007
30	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी	1	श्री सूरज सिंह	21.07.2017
31	कर निर्धारण अधिकारी	2	श्री अरविन्द कुमार यादव	28.08.2012
			श्रीमती रीता रानी विक्रम	26.09.2015
			श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी	01.07.2017
			श्री रामेश्वर दयाल	21.06.2017
32	कर अधीक्षक	9	श्री तिलक राम	25.04.2001
			श्री सतीश चन्द्र–I	08.08.2012
			श्री अवधेश कुमार सिंह	07.08.2012
			श्री संतोष कुमार	17.11.2014
			श्री सतीश चन्द्र–II	08.09.2015
			श्री जय प्रकाश	04.06.2018
			श्री विपिन कुमार उपाध्याय	04.06.2019

			श्री मुन्ना राम	05.06.2018
			श्री विजय शंकर	05.06.2018
			श्री कमलेश सिंह यादव	08.06.2018
			श्री विनय कुमार मौर्य	11.06.2018
			—	-
33	राजस्व निरीक्षक	24	सुश्री अंजू राय	08.08.2012
			श्री राकेश कुमार	14.03.2017
			श्री विकास राव	10.03.2017
			बबिता पाण्डेय	15.03.2017
			श्री प्रतीक कुमार सिंह	10.03.2017
			श्री अनुराग मिश्रा	07.06.2018
			श्री अमरजीत तिवारी	15.03.2017
			श्री मृदुल	20.05.2017
			श्री विनोद कुमार	01.07.2017
			श्री राजेश कुमार	01.07.2017
			श्री सत्येन्द्र कुमार विश्वकर्मा	01.07.2017
			श्री राज कुमार सिंह	01.07.2017
			श्री राजन यादव	01.07.2017
			श्री सौरभ सिंह	01.07.2017
			श्री शाहनवाज अहमद अंसारी	01.07.2017
			अनीता यादव	01.07.2017
			श्री सुशील कुमार	01.07.2017
			श्री जग नारायण बिन्द	01.07.2017
			श्री धर्मेन्द्र कुमार	01.07.2017
			श्री राकेश कुमार पाण्डेय	01.07.2017
			नीलम कुमारी	03.07.2017
			कुसुम कुशवाहा	03.07.2018
			श्री रवि प्रताप सिंह	05.07.2017
			श्री सुरजीत कुमार सिंह	19.08.2017
			सुश्री शशि कुशवाहा **(त्याग पत्र स्वीकृत नहीं)**	10.10.2017
			श्री राहुल कुमार	15.06.2018
34	कार्यालय अधीक्षक (केन्द्रीय)	1	—	-
35	प्रधान लिपिक	7	—	-
			—	-
			—	-
			—	-
			—	-

			–	-
			–	-

बिन्दु-10 अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों और यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हैः-

सातवां वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान में विभिन्न संवर्गो के अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन का भुगतान किया जाता है। वेतन का भुगतान बैंक में चेक के माध्यम से किया जाता है।

बिन्दु-11 सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये समवितरणों पर रिपोटों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजटः-

नगर निगम वाराणसी का वर्ष 2018-19 हेतु निम्नवत् पुनरीक्षित बजट पारित किया गया-

1. प्रारम्भिक अवशेष - 402.79 लाख
2. वर्ष में अनुमानित आय - 75,111.12 लाख
3. कुल अनुमानित आय - 75,513.91 लाख
4. कुल अनुमानित व्यय - 74,955.30 लाख
4. अन्तिम अवशेष - 558.61 लाख

बिन्दु-12 सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरें सम्मिलित हैंः-

74वें संविधान संशोधन में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के लिए पृथक राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसकी संस्तुति के क्रम में स्थानीय निकायों को राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व का निश्चित अंश संक्रमित किया जाने लगा है। नगर निगम वाराणसी को वर्ष 2018-19 हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अधीन रु0 130 करोड़ प्राप्त होना संभावित है। राज्य वित्त आयोग से संस्तुतियों के अन्तर्गत इस नगर निगम को संक्रमित होने वाली धनराशि मुख्य रूप से नियमित कर्मचारियों के वेतन मद पर व्यय की जाती है। शेष धनराशि नगर निगम सदन द्वारा पारित संकल्पों के अनुसार विकास कार्यो पर व्यय की जाती है। राज्य वित्त आयोग के संस्तुति लागू होने के उपरान्त राज्य सरकार से किसी अन्य प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं होता है। बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को भारत सरकार से धनराशि अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष स्वीकृत किया जाता है। बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि व्यय की स्वीकृति नगर निगम अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्राप्त कर की जाती है।

बिन्दु-13 अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा-पत्रों या प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की

विशिष्टियाँ:-

नगर निगम अधिनियम के तहत किसी रियायत का प्रावधान नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्तकर्ता को दिया जाता है। नगर निगम सीमा में रिक्शों, रिक्शा ट्राली, ठेला, बैलगाड़ी, ताँगा, नाव, मोटरबोट, ज्वलनशील पदार्थों, लाउडस्पीकर, पशुओं / दुधारू पशुओं, वधशालाओं, बकरा एवं भैसा माँस की दुकानों, होटलों, लाजों, बारात घर, गेस्ट हाउस, आटो रिक्शा इत्यादि को निर्धारित लाइसेन्स शुल्क जमा कराकर अनुज्ञा-पत्र जारी किया जाता है।

बिन्दु-14 किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो:-

नगर निगम वाराणसी में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन का कम्प्यूटराइजेशन किया जा चुका है। नगर निगम के गृहकर कम्प्यूटरीकृत किया गया है। भौगोलिक सूचना तंत्र (जी0आई0एस) के माध्यम से सम्पत्ति कर सहित विभिन्न प्रकार के डाटाबेस तैयार कर उसे इलेक्ट्रानिक्स माध्यम पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दिया गया है।

बिन्दु-15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घण्टें सम्मिलित हैं:-

वर्तमान में नगर निगम वाराणसी में नागरिकों के आवेदन करने पर अभिलेखों का नकल निर्धारित शुल्क जमा करा कर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, जिसमें मुख्य रूप से दाखिल खारिज, कर निर्धारण तथा जन्म मृत्यु प्रमाण-पत्र सम्बन्धी सूचनाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।

बिन्दु-16 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ:-

नगर निगम वाराणसी में प्रथम अपीलीय अधिकारी - नगर आयुक्त मो० नं० ७८००००००९००

विभागों में जन सूचना अधिकारीतैनात है जिनका विवरणनिम्नवत है:-

कार्यालय नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम, वाराणसी

संख्या- 502/[illegible]/2018-19

दिनांक-मार्च 8, 2019

आदेश

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, लखनऊ के पत्र संख्या-524/43-3-2016, दिनांक-30.12.2016 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 व उ0प्र0 सूचना का अधिकारी नियमावली-2015 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने तथा जन सामान्य द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम की धारा-5(1) का उपयोग करते हुए प्रत्येक लोक प्राधिकरण में एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश दिये गये है ।

अतः उपरोक्त आदेश के क्रम में वाराणसी नगर निगम के समस्त विभागों के निम्नानुसार को जनसूचना अधिकारी नामित किया जाता है-

क्र0सं0	जनसूचना अधिकारी का नाम एव पदनाम	सम्बन्धित विभाग
1.	श्री अजय कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त	1. अधिष्ठान/कार्मिकविभाग/लेखा विभाग 2. जी0आई0एस0/एम0आई0एस0 3. स्वच्छ सर्वेक्षण/ई-गर्वनेन्स/कम्प्यूटर सेल 4. स्वास्थ्य/परिवहन विभाग/आलोक 5. स्टोर (स्वास्थ्य/परिवहन/आलोक) 6. पशु चिकित्सा विभाग/स्वच्छ भारत मिशन 7. सी0एस0आर0/नमामि गंगे/स्मार्ट सिटी/जायका/शेल्टर होम 8. वरूणापार जोन व आदमपुर जोन
2.	अनूप कुमार बाजपेयी, अपर नगर आयुक्त	1. कर/नजारत/फार्म/वी0आई0पी0 2. नगर निगम के समस्त विद्यालय
3.	रमेश चन्द्र सिंह, अपर नगर आयुक्त	1. बीमा/पेन्शन/ग्रेज्यूटी/अमृत/हृदय 2. क्रीड़ा/पुस्तकालय/खेलकूद/समारोह/टाऊनहाल 3. दशाश्वमेध जोन
4.	श्री राकेश कुमार यादव, अपर नगर आयुक्त	1. राजस्व/अतिक्रमण/सम्पत्ति/ठेका/नजूल/शत्रुसम्पत्ति 2. विधि/विज्ञापन/अनुज्ञप्ति/उद्यान/ नकल/अभिलेखागार 3. निर्वाचन/जनगणना/परिषद/आडिट/कन्ट्रोल रूम/भेलूपुर जोन 4. टेण्डरिंग से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही का परीक्षण

8/03/19

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)

नगर आयुक्त

Scanned with CamScanner